उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928	GSTN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स (जी.एस.टी. सेल) Corporate Tax (GST Cell)

कक्ष संख्या– 320, तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com

Room No.– 320, IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

दिशा–निर्देश सं0: 304 / का0 टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल / 2024 / दिनांक: 28/09/2024

ई–मेल द्वारा

समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

अति महत्वपूर्ण

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 तदनुरूप कर निर्धारण वर्ष 2025–26 के बजट द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 में किये गये संशोधनों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 तदनुरूप कर निर्धारण वर्ष 2025–26 हेतु नये बजट में आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किये गये है, जिनका विवरण निम्नांकित है:–

1. **Section 192- TDS on Salary**:- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 में NEW TAX REGIME के अन्तर्गत Slab Rate में निम्नवत् संशोधन किये गये है, जो वित्तीय वर्ष 2024–25 से प्रभावी होगा:–

Total Income	Tax Rate
Up to Rs. 3,00,000/-	Nil
Rs. 3,00,001/- to Rs. 7,00,000/-	5%
Rs. 7,00,001/- to Rs. 10,00,000/-	10%
Rs. 10,00,001/- to Rs. 12,00,000/-	15%
Rs. 12,00,001/- to Rs. 15,00,000/-	20%
Above Rs.15,00,000	30%

2. नई कर व्यवस्था (NEW TAX REGIME) का विकल्प चयन करने वाले कर्मचारियों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 16(ia) के अन्तर्गत Standard Deduction मौजूदा 50000 रुपये से बढ़ाकर 75000 रुपये कर दी गई है, जो वित्तीय वर्ष 2024–25 से प्रभावी होगा।

3. **Section 194H- TDS on Commission or Brokerage**:- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194H के अन्तर्गत टी0डी0एस0 की दर 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का नये बजट में प्रस्तावित किया गया है, जो दिनांक 01.10.2024 से प्रभावी होगा।

4. **Interest rates for late payment of TCS to Government account**:- टी0डी0एस0 के भुगतान में देरी पर ब्याज की भांति टी0सी0एस0 के भुगतान में देरी पर ब्याज की दर को 1 प्रतिशत के बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत करने का नये बजट में प्रस्तावित किया गया है, जो दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी होगा।

अतः समस्त आहरण वितरण अधिकारी उपरोक्त समस्त धाराओं का अपने स्तर से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(सचिन गोयल)
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)

ई–मेल द्वारा

दिशा–निर्देश: 304 /का0 टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल/2024/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को लखनऊ/ वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर को **इस आशय के साथ प्रेषित कि वे अपनी कम्पनी के स्तर पर अलग से दिशा–निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।**
2. सचिव ट्रस्ट, उ0 प्र0 पावर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को **इस आशय के साथ कि अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करना सुनिश्चित करें।**
4. अधीक्षण अभियन्ता (आई0टी0–ई0आर0पी0), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. उपसचिव (स0 प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. लेखाधिकारी केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/वेतन एवं लेखा/पी0एम0यू0/जी0पी0एफ0–ट्रस्ट/सी0पी0एफ0–ट्रस्ट, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(सचिन गोयल)
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)